

From No. III

118/2018

फर्द अहकाम (नियम - 26)

अज अदालत..... उपशोध अधिकारी..... (मुकाम) मारवाड जंम्बा
 केसरसिंह व नाथूसिंह वगैरे बनाम साकरजारे व लखमा 03
 किस्म मुकदमा 75 केस 1956 नं. 118/2018 सन्.....

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
2/6/18	<p>अपील अपीलॉट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधीन 2018 व मुकाम के लिये सेवा के लिये जोरीमादा में एक अन्तर्गत धारा 75 केस 1956 के तहत 29 अपील की प्रेष कि अपीलॉट द्वारा सरहद मोजा निचली निम्नी के 75 व 12, 81, 142, 211, 809 में से विभिन्न कुसिंह व नाथूसिंह कोम रावल राजपूत से उनके एक ठिल्ले की ग्राम जारे व रजिस्ट्रार केन्द्र के लिये से एक की गये जिला राजस्थान रेकार्ड में जारे व लखमा 03 के द्वारा तत्कालिन पञ्चायती हुक्म कोरीमादा ने नामान्तरण पर्ज कर वगैरे सरहद से कीसुसिंह, केसरसिंह नाथूसिंह व मकनसिंह व नाथूसिंह की वजाय कीसुसिंह, केसरसिंह नाथूसिंह व मकनसिंह दूज कर स्वीकृत कर दिया जा कि जलत है। केसरसिंह व पिता का नाम नाथूसिंह है। इसलिये उक्त अपीलॉटिंग नामान्तरण सूर 29 के अपील किया जाकर नये सिरे से पञ्चायत के लिये नामान्तरण पर्ज किया जाने का आदेश दिलावे / अपील दूर रजिस्ट्रार किया जावे / रजिस्ट्रार ने भी अपीलॉट के कथन की तारीख 2/6/18</p>	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
-------------------------	---	---

—: आदेश:—

अतः अपील अपीलान्त कंसिडर (सीका)
की जाकर नामान्तरण एवं २१
ग्राम निचली निम्बली का रूपान्तर
रिफा जाकर तह साठजठं का इस
निर्देश के साथ प्रेषित प्रतिप्रेषित
किया जाता है, कि ये केयान दस्तावेज
अनुसार निपटानुसार नये थिरे से
नामान्तरण की कार्यवाही करे पालन
से अवगत करावे।

मिसल फिल्ल सुमार देकर जाकर से
देकर दारिल दफ्तर से। निरपि
मजमा काम राजसु लेवं केदालत
कोरीमादा में सुनापा गया।

S.S.O.mj